

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2023—आषाढ़ 16, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनार्यें

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति के भारतीय स्टेट बैंक, इन्दौर के सर्विस रिकार्ड में नामिनी के रूप में मेरा नाम भूल व त्रुटिवश श्रीमती चमु बजाज (Smt. Chamu Bajaj) लिखा गया है, जिसे बदलकर श्रीमती चमेली बजाज (Smt. Chameli Bajaj) पति स्व. श्री नटवरलाल बजाज कर लिया है. अतः भारतीय स्टेट बैंक, इन्दौर के सर्विस रिकार्ड में नामिनी के रूप में मेरा नाम श्रीमती चमेली बजाज (Smt. Chameli Bajaj) पति स्व. श्री नटवरलाल बजाज पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम
(चमु बजाज)

नया नाम
(चमेली बजाज)

9सी, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड़,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1250)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि, मैं, रचना खजांची पिता चन्द्रभूषण खजांची मेरा शादी के पूर्व कई कंपनी के शेयर्स सर्टिफिकेट पर मेरा नाम रचना खजांची पिता चन्द्रभूषण खजांची, निवासी : 21, इन्द्रा गाँधी नगर, इन्दौर (म.प्र.) दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम रचना गुप्ता पति श्री संजय गुप्ता है, जो मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड पर दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम रचना खजांची व नाम रचना गुप्ता एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम रचना गुप्ता पति श्री संजय गुप्ता के नाम से जाना पहचाना, लिखा पढ़ा, एवं बोला जावे.

पुराना नाम
(रचना खजांची)

नया नाम
(रचना गुप्ता)

(G-1251)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, अतुल कुमार तापडिया पिता श्री नारायणदास तापडिया मेरे मेडिकल कौंसिल गवर्मेंट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपेंडिक्स E पर मेरा नाम तापडिया अतुल दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम अतुल कुमार तापडिया पिता श्री नारायणदास तापडिया है, जो मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड पर दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम अतुल कुमार तापडिया व नाम तापडिया अतुल एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम अतुल कुमार तापडिया पिता श्री नारायणदास तापडिया के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम
(तापडिया अतुल)

(G-1252)

नया नाम
(अतुल कुमार तापडिया)
निवासी : बी 1-602, शहनाई रेसीडेंसी,
होटल अमर विलास के सामने,
ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पुत्री का नाम कु. रोशनी यादव पिता श्री शिशुपाल यादव है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र मेरी पुत्री का नाम रोशनी यादव दर्ज है, परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड व लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण-पत्र पर कु. कल्लो यादव पिता शिशु पाल यादव दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम कु. रोशनी यादव व कल्लो यादव एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री के हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मेरी पुत्री को उसके नये नाम रोशनी यादव पिता श्री शिशुपाल यादव के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम
(कल्लो यादव)

(G-1253)

नया नाम
(रोशनी यादव)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे राजस्व अभिलेख में भूल व त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम गुड्डीबाई दर्ज हो गया जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम श्रीमती अनिता बैरागी कर लिया है. अतः राजस्व अभिलेखों में मेरा सही नाम श्रीमती अनिता बैरागी लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गुड्डीबाई बैरागी)

(G-1254)

नया नाम
(अनिता बैरागी)
195, पवनपुरी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम दिव्या तलरेजा (Divya Talreja) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर अनाया गेहानी (Anaya Gehani) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अनाया गेहानी (Anaya Gehani) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम
(दिव्या तलरेजा)

(G-1255)

नया नाम
(अनाया गेहानी)
73, लाडकाना नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नम्रता पाटिल पत्नी श्री पांडुरंग पाटिल, निवासी-म.न. 2, ख्वाजा कालोनी, निजामुद्दीन रोड, इंद्रपुरी, तह. हुजूर, जिला भोपाल सूचित करती हू कि पूर्व में मेरा नाम गंगा सोमकुवर था तथा विवाह कि पच्चात् मेरा नाम नम्रता पाटिल हो गया है. मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय, शिक्षणिक दस्तावेजों में इसी नाम को दर्ज किया जाये एवं भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जाय.

पुराना नाम
(गंगा सोमकुवर)

नया नाम
(नम्रता पाटिल)

(G-1256)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम हल्का पत्नी अजय को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रेखा बाई रघुवंशी (REKHA BAI RAGHUWANSHI) पत्नी श्री अजय सिंह रघुकंशी (AJAY SINGH RAGHUWANSHI) निवासी-पोस्ट बरेठ, शाहजहांपुर उर्फ बेहंटा, जिला विदिशा हाल-भोपाल हो गया है. इससे पूर्व मेरा नाम हल्का था. मेरा नाम श्रीमती रेखा बाई रघुवंशी (REKHA BAI RAGHUWANSHI) पत्नी श्री अजय सिंह रघुवंशी (AJAY SINGH RAGHUWANSHI) कर दिया जावे.

अतः अब मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम हल्का पत्नी श्री अजय लिखा है उसे नया नाम श्रीमती रेखा बाई रघुवंशी पत्नी श्री अजय सिंह रघुवंशी पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम
(हल्का)

नया नाम
(रेखा बाई रघुवंशी)

(G-1257)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय सिंह पेठारी पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ पेठारी, निवासी-अदालत के पीछे, वैशाली नगर, सीहोर हूँ, मैं, रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट संत हिरदाराम नगर, भोपाल मंडल (प.म.रे.) में आरक्षक के पद पर पदस्व हूँ, मेरी चरित्र सेवा-पुस्तिका में विजय सिंह पेठारी के स्थान पर विजय कुमार पेठारी लिखा हुआ है, जो कि गलत है. रेल सुरक्षा बल की भर्ती के दौरान लगाए गए मेरे संपूर्ण शैक्षणिक, जाति एवं मूल-निवासी प्रमाण-पत्रों में विजय सिंह पेठारी ही लिखा हुआ है.

आज दिनांक से मुझे विजय सिंह पेठारी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए.

निवेदक,

(विजय सिंह पेठारी)

पिता-स्व. श्री जगन्नाथ पेठारी.

(G-1258)

CHANGE OF NAME

I, Smt. Sheetal Jaiswar, spouse of Indian Navy Ex. RPO-172540N, resident of 87/88, Rukmani Bhawan, Mayur Nagar, Musakhedi, Indore, District-Indore (M.P.) have changed my name to Smt. Seeta Jaiswar In all educational documents & passport, aadhar card, pan card, voter ID, my new name has been entered, so futher, I shall be known by my new name Mrs. Seeta Jaiswar, only for all official and private purposes.

Old Name

(SHEETAL JAISWAR)

New Name

(SEETA JAISWAR)

87/88, Rukmani Bhawan, Mayur Nagar,
Indore (M.P.).

(G-1259)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश कुमार कारपेंटर अंकित है, जिसे अब परिवर्तित कर राजेश चावड़ा कर लिया है. अतः अब मुझे भविष्य में राजेश चावड़ा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

(राजेश चावड़ा)

मकान नं. 75, वार्ड नं. 06, राम मंदिर के पास,
दुधाखेड़ी, रतलाम (म.प्र.).

(G-1260)

आम सूचना

मेसर्स यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मुरैना, जिला मुरैना पंजीयन क्र. 02/44/01/0360/22, दि. 08-02-2022 में संशोधित डीड दि 01-04-2023 अनुसार भागीदार श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी डॉ विकास शर्मा, इसी दिनांक 01-04-2023 को नए भागीदार शामिल हो रही हैं. अतः आज दिनांक से पार्टनर (1) डॉ स्वेता राजपूत पत्नी श्री डॉ राघवेन्द्र सिंह यादव, (2) श्रीमती सरिता कटारे पत्नी डॉ बृजेश कटारे, (3) श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री डॉ राकेश शर्मा, (4) डॉ आकांक्षा पत्नी डॉ अनुराग सिंह तोमर, (5) डॉ प्रियंका तोमर पत्नी डॉ. कृष्णपाल सिंह तोमर एवं (6) श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री डॉ विकास शर्मा द्वारा फर्म का संचालन किया जायेगा. अतः कुल छः भागीदार रहेंगे.

M/s Yashodha Multi Speciality Hospital,

(PRIYANKA TOMER)

Partner,

Old Housing Board Colony, Morena.

(G-1261)

PUBLIC NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "BIOSCI HEALTH CARE" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/0264/2019, year 2019-20 date of Registration 25-10-2019 undergone the following changes:-

1. That Mr. Manoj Gupta S/o Shri Kailash Narayan Gupta in pursuance to his disire to retire from the partnership firm w.e.f. 25-05-2023.

"BIOSCI HEALTH CARE"

**SHAIENDRA TIWARI,
ASHISH KUMAR JOSHI,
JITENDRA TIWARI,**

(Partner)

1st Floor, Plot No. C-65, Gautam Nagar, Bhopal.

(G-1262)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रुबल कौर पुत्री श्री कुलविन्दर सिंह मेरी माता गुरमीत कौर पति कुलविन्दर सिंह, जिन्होंने जन्म के समय मेरा नाम कमल जीत कौर के नाम से बुलाती थी, लेकिन मेरे स्कूल की मार्कशीट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट सभी जगहों में रुबल कौर लिखा है. मेरी रुबल कौर के नाम से ही सम्पूर्ण कार्यवाही आज तक करती चली आ रही है तथा दोनों नाम से जानी एवं पहचानी जाती है. मुझे रुबल कौर के नाम से ही जाना जाता है.

पुराना नाम

(कमल जीत कौर)

नया नाम

(रुबल कौर)

पिता-कुलविन्दर सिंह,
निवासी-म.नं. 106, रजत नगर,
पिपलानी पेट्रोल पम्प, बी.एच.ई.एल.,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1263)

CHANGE OF NAME

It is to declare in public, that we, Mr. Pushpendra Yadav S/o J. P. Yadav and Mrs. Megha Yadav W/o Pushpendra Yadav, would like to legally.

Change name of our daughter mentioned below, Ms. Aahana Yadav (Aadhar No. 924772313369).

To Aahana Shree, After the gazette notification, our daughter Ms. Aahana Yadav will be known and Called as Ms. Aahana Shree in all Government, Semi-Government, Public, Private and Educational documents.

Old Name
(AAHANA YADAV)

New Name
(AAHANA SHREE)

(G-1264)

नाम परिवर्तन

मैं, विट्टन देवी (VITTAN DEVI) पत्नि स्व. श्री सुभाष सिंह भदौरिया सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम विमला भदौरिया (VIMLA BHADORIYA) था जो मेरे बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान में मेरा नाम विट्टन देवी है, जो मेरे पति स्व. श्री सुभाष सिंह भदौरिया के सर्विस बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि में लिखा गया है तथा भविष्य में भी मैं, विट्टन देवी के नाम से ही जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. विट्टन देवी और विमला भदौरिया दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे बैंक खातों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विमला भदौरिया के स्थान पर विट्टन देवी लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(विमला भदौरिया)

नया नाम
(विट्टन देवी)

पत्नि-स्व. श्री सुभाष सिंह भदौरिया,
गली नं. 08, शिव कॉलोनी, गुड्डा,
कम्प्यू ग्वालियर.

(G-1265)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मोहम्मद माजिद हफीज आत्मज स्व. अब्दुल हफीज है पूर्व में कक्षा 8 तक मेरी मार्कशीट एवं दस्तावेज में मेरा नाम मो. माजिद आत्मज छोटे खां अंकित है, किन्तु वर्तमान में मेरे समस्त दस्तावेज आधार, पैन कार्ड आदि में मेरा नाम मोहम्मद माजिद हफीज आत्मज अब्दुल हफीज अंकित है, जो सत्य है. अतः भविष्य में सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद माजिद हफीज आत्मज अब्दुल हफीज के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(मो. माजिद)
पुत्र-छोटे खां

नया नाम
(मोहम्मद माजिद हफीज)

पुत्र-अब्दुल हफीज
पता-म.नं. 3, आहता मनकशाह, पुल बोगदा,
ऐशबाग रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-1266)

जाहिर सूचना

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम "मनीष मेहता पिता डॉ. राजेन्द्र सिंह मेहता" है, जिसमें मेरा नाम मनीष मेहता की कहीं-कहीं पर अंग्रेजी में स्पेलिंग "MANEESH MEHTA" एवं "MANISH" लिखी है जो कि मेरे ही नाम की होकर एक ही व्यक्ति के नाम की है तथा मैं, भविष्य में अंग्रेजी स्पेलिंग "MANEESH MEHTA" के नाम से सम्बोधित किया जाऊंगा. मैं, इसी नाम तथा स्पेलिंग से जाना व पहिचाना जाता हूँ.

(मनीष मेहता)

पिता-राजेन्द्रसिंह,

पता- 13/8, साउथ तुकोगंज,
बैंक कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1267)

PUBLIC NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that in the firm of M/s SAIYYED AKHTAR ALI registered office at Survey No. 186/1, Old bypass Road, Wahid Nagar, Opposite Ahinsa Gram, Ratlam (M.P.) 457001 a Registered Partnership firm vide Registration No. उ.स.फ. 21/2.9.03/2003-04 with the Registrar of firms. Amongst the following partners:-

1. Sayyad Akhtar Ali S/o Wahid Ali
2. Sayyad Mohabbat Ali S/o Wahid Ali
3. Sayyad Afsar Ali S/o Wahid Ali
4. Saiyyad Owais Ali S/o Saiyyad Akhtar Ali

There is a change in Constitution of the firm and Saiyyad Murtuza Ali S/o Saiyyad Akhtar Ali entered into Partnership w.e.f. 01-07-2023 vide Partnership deed dated 01-07-2023.

M/s. SAIYYED AKHTAR ALI,
SAIYYED AKHTAR ALI,
(Partner).

(G-1268)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में M/s GRS AGRITECH जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0016/20, दिनांक 17 जुलाई 2020 है, जो 55, क्षीर सागर कॉलोनी, उज्जैन में स्थित है। इसमें दिनांक 25 अप्रैल 2022 को फर्म का पूर्व मुख्य कार्यालय 55, क्षीर सागर कॉलोनी, उज्जैन से परिवर्तित कर नया मुख्य कार्यालय 227, बडनगर रोड, नलवा, उज्जैन (म.प्र.) किया गया है। आमजन सूचित हों।

M/s GRS AGRITECH,
जिनेन्द्र सूर्या,
(भागीदार)

(G-1269)

55, क्षीर सागर कॉलोनी, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बहादुर सिंह लोधी पिता खिलान सींग लोधी मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम बहादुर सींग लोधी दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड में बहादुर उर्फ चरन सींग दर्ज हैं। दोनों नाम का मैं स्वयं एक मात्र व्यक्ति हूँ एवं दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता हूँ, यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज बहादुर सींग लोधी नाम को लिखा एवं पढ़ा जाए।

पुराना नाम
(बहादुर उर्फ चरन सींग)

नया नाम
(बहादुर सींग लोधी)
(खिलान सींग लोधी)

निवासी-साकिन मुराछ, तहसील हटा,
जिला दमोह (म.प्र.).

(G-1270)

CHANGE OF NAME

My minor daughter name is mentioned as SAANVI SINGH and Date of Birth as 12/09/2011 in all school record and in Aadhar Card No. 9131917410544. I have decided to change my minor daughter's name from "SAANVI SINGH" to "AMAIRA SINGH". From this day onwards all the records to have my minor daughter's new name as "AMAIRA SINGH" instead of "SAANVI SINGH".

ATUL SINGH (Father) H.No. 85, Ansal Pradhan Enclave, Near Dana Pani, Trilanga, Bhopal (M.P.).

Old Name
(SAANVI SINGH)

New Name
(AMAIRA SINGH)

(G-1271)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में ताराबाई बुंदेला त्रुटिवश लिखा गया है। वास्तव में मेरा नाम बायाबाई बुंदेला है और मैं, इसी बायाबाई बुंदेला के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम
(तारा बाई)

नया नाम
(बायाबाई बुंदेला)

पति— गनपत बुंदेला,

पता—62, देवी इंदिरा नगर, नाले के पास,
ओल्ड पलासिया, जोन 11, वार्ड 48, इंदौर.

(G-1272)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अर्चना लड़िया पुत्री श्री दीनदयाल लड़िया प्राथमिक, शिक्षक E.P.E.S. भैंसा नाका, तहसील जिला सागर का विवाह श्री गजराज सिंह कश्यप, निवासी बालाजी रेसीडेंसी, अम्बेडकर वार्ड, तहसील जिला सागर से हो जाने के पश्चात् मुझे अर्चना लड़िया के स्थान पर अर्चना कश्यप पति श्री गजराज सिंह कश्यप के नाम से मेरे समस्त शासकीय रिकार्ड व दस्तावेजों में लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(अर्चना लड़िया)

पिता—श्री दीनदयाल लड़िया

नया नाम

(अर्चना कश्यप)

पति—श्री गजराज सिंह कश्यप,

(G-1273)

CHANGE OF NAME

This is to inform Publicly that, I, BHAGIRATH SINGH LODHI S/o LATE MOHAN SINGH LODHI, 336/1/B, SBI Single Storey, State Bank Colony, Ukhari Road, Baldeobagh, Jabalpur (M.P.), do hereby Solemnly affirm and declare as under, I state that My name was BHAGIRATH SINGH LODHI in Educational Qualification Mark Sheet, BHAGIRATH SINGH THAKUR in Aadhar Card and in PAN Card. Now, I have Changed my name to BHAGIRATH SINGH. My Correct Name is BHAGIRATH SINGH, I am Changing the Name to BHAGIRATH SINGH in my Government Service Records, School, Higher Education Documents, Government and other concern records.

Henceforth, From this date My Name BHAGIRATH SINGH, should be read, write and recorded in my Educational Documents Records Government Service and all other concern document in future.

Old Name

(BHAGIRATH SINGH LODHI)

New Name

(BHAGIRATH SINGH)

(G-1274)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जया जोशी पति अजयकिशोर जोशी (Jaya Joshi W/o Ajay Kishore Joshi) है जिसे बदलकर मैंने अपना नाम जया पुरोहित पिता शंकरलाल पुरोहित (Jaya Purohit D/o Shankarlal Purohit) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम जया पुरोहित पिता शंकरलाल पुरोहित (Jaya Purohit D/o Shankarlal Purohit) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम
(जया जोशी)

नया नाम
(जया पुरोहित)

1670—डी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1275)

CHANGE OF NAME

The general public is being herein informed that, I, Mrs. Minakshi Kushwaha W/o Santosh Anand, D/o Vishnu Prasad Kachhwaha, R/o Flat No. 306, Aarti Dias Apartment, South Civil Lines, Jabalpur, hereby do declares that before marriage. I known as Minakshi Kachhwaha D/o Vishnu, Prasad Kachhwaha, and Minakshi Kachhwaha is recorded in my educational documents and after my marriage. I am known as Minakshi Kushwaha W/o Santosh Prasad Kushwaha and Minakshi Kushwaha is recorded in my Service Records and now I have changed my name from Minakshi Kachhwaha & Minakshi Kushwaha to "Minakshi Jyotishi". Therefore, henceforth in my all documents and in my service records, my new name Minakshi Jyotishi shall be recorded accordingly.

Old Name

(MINAKSHI KUSHWAHA)

(G-1276)

New Name

(MINAKSHI JYOTISHI)**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि. हमारी भागीदारी फर्म "M/s SATNAM FILLING STATION" पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0146/19, पंजीयन दिनांक 11-01-2019, पता—Bansagar Road , Saman, Tehsil—Huzur, Distt.-Rewa (M.P.) कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएँ, रीवा, शहडोल, संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं. यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Shri Satnam Singh S/o Charan Singh, पता—House No. 22/205, Amahiya ward No. 22, Tehsil Huzur Distt. Rewa, Madhya Pradesh. (2) Smt. Pawan Jyoti Kour W/o Shri Satnam Singh, पता—Ward No. 22, Amahiya, Rewa, Tehsil Huzur, Distt. Rewa, Madhya Pradesh. (3) Smt. Bindu Singh W/o Shri Rajendra Singh, पता—Hosue No. 22/218, Shastri Nagar, Amahiya, Rewa, Tehsil Huzur, Distt. Rewa, Madhya Pradesh पार्टनर थे जिसमें दिनांक 19-05-2023 को Smt. Pawan Jyoti Kour W/o Shri Satnam Singh पता—Ward No. 22, Amahiya, Rewa, Tehsil Huzur, Distt. Rewa, Madhya Pradesh. की मृत्यु हो गई मरणोत्तरान्त आपसी सहमति से दिनांक 19-05-2023 को फर्म में नवीन पार्टनर Shri Anmol Singh S/o Rajendra Singh, aged 26 years, Add.-House No. 22/218, Shastri Nagar, Amahiya, Rewa, Tehsil huzur, Distt.-Rewa Madhya Pradesh को सम्मिलित किया गया है.

SATNAM FILLING STATION,
SATNAM SINGH,

Partner.

(G-1277)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को मैं, मनोज कुमार उर्फ अभिषेक कारपेंटर पिता श्यामसुंदरजी कारपेंटर, जाति सुतार, निवासी—179, वार्ड नं. 09, अपूर्व हॉस्पिटल के पास मनासा, तहसील—मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) सूचित करता हूँ कि पूर्व में मुझे मनोज कुमार नाम से जाना—पहचाना जाता था. मेरे द्वारा नाम मनोज कुमार से परिवर्तित कर अभिषेक कारपेंटर कर लिया है एवं वर्तमान में मेरे समस्त अंकसूचियों, शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अभिषेक कारपेंटर ही दर्ज है. अब भविष्य में मुझे अभिषेक कारपेंटर के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम

(मनोज कुमार)

(G-1278)

नया नाम

(अभिषेक कारपेंटर)

कार्यालय, रतलाम विकास प्राधिकरण, रतलाम, मध्यप्रदेश

प्रारूप-अठारह

[नियम-19(5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन नगर स्कीम बनाने की घोषणा की सूचना]

रतलाम, दिनांक 4 जुलाई 2023

क्र. 581-2023-एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक-TDS-02-2022, कस्बा रतलाम तैयार किया गया है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालय अवधि में निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध है:-

1. रतलाम विकास प्राधिकरण, रतलाम
2. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, रतलाम

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा.

संजय कुमार शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-1279)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म "मेसर्स पार्क बेंज लेबोरेटरिज" पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00205/05, सन् 2004-2005, दिनांक 21-02-2005 पंजीकृत फर्म है. यह कि संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 मार्च 2022 के अनुसार इस भागीदारी फर्म से श्रीमती मिताली बनर्जी पत्नी श्री एस. बनर्जी, निवासी-23, एफ-2, शांति अपार्टमेंट, वल्लभ नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 28 फरवरी 2022 को अलग (पृथक) हो रही है तथा फर्म का पुराना पता बदलकर नवीन पता-92, न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया-2, मण्डीदीप, जिला रायसेन किया गया है.

मेसर्स पार्क बेंज लेबोरेटरिज,

(प्रदीप विश्वकर्मा)

भागीदार,

92, न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया-2, मण्डीदीप,

जिला-रायसेन.

(G-1280)

CHANGE OF NAME

This is to Inform to the General Public that Bhavya Agrawal S/o Mr. Nishant Agrawal, Age 6 Years, Residency- Sahil Residency, 204, Bairathi Colony, No.-1, Indore is my son. Previously the name of my son was Ram Agrawal and he has his Aadhar Card (9214 5504 0089) with the same name. Now I am changing my son's name from Ram Agrawal to Bhavya Agrawal. From now onwards my son please be recognized by his correct name Bhavya Agrawal S/o Mr. Nishant Agrawal.

Old Name

(RAM AGRAWAL)

New Name

(BHAVYA AGRAWAL)

S/o Mr. Nishant Agrawal,

Add:- Sahil Residency, 204, Bairathi Colony,

No.-1, Indore.

(G-1281)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में Celestina Gretchen नाम दर्ज है। त्रुटिवश आधार कार्ड पर मैं, Celestina Gretchen Tigga अंकित हो गया है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में उल्लेखित नाम Celestina Gretchen सही है। अतः मेरी पुत्री को भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम
(CELESTINA GRETCHEN TIGGA)

नया नाम
(CELESTINA GRETCHEN)
D/o Amit Andreas Tigga.

(G-1282)

नाम परिवर्तन

मैं अंशु सक्सेना (Anshu Saxena) वाइफ ऑफ संकल्प सक्सेना (Sankalp Saxena) जो कि मेरे सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उल्लिखित है। मैं, अपने नाम में परिवर्तित कर श्रीमती अंशिका सक्सेना (Anshika Saxena) W/o संकल्प सक्सेना (Sankalp Saxena) कर लिया है। प्रकाशन उपरांत मुझे अपने नए नाम अंशिका सक्सेना W/o संकल्प सक्सेना लिखा-पढ़ा और जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(अंशु सक्सेना)
(Anshu Saxena)

नया नाम
(अंशिका सक्सेना)
(Anshika Saxena)
W/o संकल्प सक्सेना (Sankalp Saxena),
सुभाष कॉलोनी, कमला गंज,
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-1283)

नाम परिवर्तन

मैं, संकल्प सक्सेना पिता श्री अमरनाथ सक्सेना, निवासी-सुभाष कॉलोनी, कमलागंज, शिवपुरी, मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, मेरे पुत्र के शालेय अभिलेख में उसका नाम आरुष सक्सेना त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि उसका वास्तविक नाम आर्यन सक्सेना पिता संकल्प सक्सेना है। प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र आरुष सक्सेना के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में वास्तविक नाम आर्यन सक्सेना पिता संकल्प सक्सेना (Aryan Saxena S/o Sankalp Saxena) पढ़ा-लिखा, जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(आरुष सक्सेना)
(Arush Saxena)

नया नाम
(आर्यन सक्सेना पिता संकल्प सक्सेना)
(Aryan Saxena S/o Sankalp Saxena)

(G-1284)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, our correct name is Maneesh Kumar Khandelwal and Shobhana Khandelwal, But in my Son Ishaan Khandelwal's some of documents our name is written Manish Khandelwal and Shobha Khandelwal which is our incomplete name. Henceforth in all of my Son's documents our name will be written Maneesh Kumar Khandelwal and Shobhana Khandelwal for all purposes.

Applicant
(MANEESH KUMAR KHANDELWAL)
Bharat Milap, 7/606/1, Stadium Road,
Opposite I.T.I., Badabaad, Huzur,
Rewa (M.P.).

(G-1285)

CHANGE OF NAME

I, APREM MASIH PERMAR S/o ARVIN PARMAR hereby declare that I have changed my name as APREM MASIH PARMAR S/o ARVIN PARMAR. So from now and in future I will be known by my new name.

Old Name (APREM MASIH PERMAR)	New Name (APREM MASIH PARMAR) S/o ARVIN PARMAR, 401, Sector A, Sukhliya, Indore (M.P.).
(G-1286)	

CHANGE OF NAME

I DEEPU KUKREJA S/o THAVARDAS KUKREJA hereby declare that I have changed my name as DEEPAK KUKREJA S/o THAVARDAS KUKREJA. So from now and in future I will be known by my new name.

Old Name (DEEPU KUKREJA)	New Name (DEEPAK KUKREJA) S/o Thavardas Kukreja, 241, V.I.P. Parsapar Nagar, Scheme No. 97, Indore (M.P.).
(G-1287)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम शिल्पा मोहन पंत पुत्री मोहन पंत था. विवाह के बाद मेरा उपनाम परिवर्तित होकर शिल्पा बडयालकर पत्नी श्री अजय वडयालकर हो गया है. अतः भविष्य में मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में श्रीमती शिल्पा वडयालकर पत्नी श्री अजय वडयालकर के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम (शिल्पा मोहन पंत) पुत्री-श्री मोहन पंत	नया नाम (शिल्पा वडयालकर) पत्नी-श्री अजय वडयालकर, पता-309, डी-1, सागर ग्रीन्स हिल्स, अमरनाथ रोड, कोलार, भोपाल (म.प्र.).
(G-1288)	

नाम परिवर्तन

मैं, जानबा/नानबा पिता येश्या खंडाईत, साकिन-देवी, तह.-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) का निवासी हूँ. मेरा वर्तमान में मेरे राजस्व दस्तावेजों में जानबा/नानबा पिता येश्या खंडाईत लिखा है. मैं, अपना नाम परिवर्तन कर मेरा नया नाम जानराव पिता येश्या खंडाईत, जाति कुनबी कर रहा हूँ. अतः मुझे मेरे नये नाम "जानराव पिता येश्या खंडाईत" के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम (जानबा/नानबा खंडाईत)	नया नाम (जानराव खंडाईत)
(G-1289)	

CHANGE OF NAME (संशोधित)

I, No. 880047674 HC Maniram Chourasiya 50 Bn BSF, Residence -97, Trimurti Nagar, Behind Mela Ground, Thatipur, Gwalior (M.P.). My name mentioned as Maniram in my service record but my real name is Maniram Chourasiya S/o Late Shri Mangal Singh Chourasiya that is mentioned in my Aadhar Card & All other Documents also and that is true and also want to mention that in my service Record and also stated.

Old Name
(MANIRAM)

New Name
(MANIRAM CHOURASIYA)

(G-1290)

आम सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि फर्म मे. श्री. राम जानकी कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट कम्पनी, एफ. एच. 446, दीनदयाल नगर, नियर आर. सी. सी. ओवरहेड टैंक, ग्वालियर में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00128/12 व पंजीयन दिनांक 21-09-2012 है. उक्त फर्म में दिनांक 10-07-2019 को पार्टनर-4 श्री सुदीप सिंह सिकरवार पुत्र श्री नरेश सिंह सिकरवार, निवासी-गोपाल नगर, गदाईपुरा, ग्वालियर का आकस्मिक निधन होने के कारण शेष बचे 7 पार्टनरों की आपसी सहमति से दिनांक 16-07-2022 को पार्टनर-4 की जगह पार्टनर-8 के रूप में श्री पंजाब सिंह पुत्र श्री मातादीन, निवासी-ग्राम कुरथरा, जिला दतिया इस फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. जिसकी सूचना सर्वसाधारण को प्रस्तुत है.

वास्ते/-

श्री राम जानकी कन्स्ट्रक्शन एण्ड
डेवलपमेंट कम्पनी,

एफ. एच. 446, दीनदयाल नगर,
नियर आर. सी. सी. ओवरहेड टैंक, ग्वालियर
पार्टनर-1 श्री सत्येन्द्र सिंह कुशवाह,
पार्टनर-2 श्री अशेष मिश्रा,
पार्टनर-3 श्री अशोक तोमर,
पार्टनर-4 श्री सिद्धार्थ शर्मा,
पार्टनर-5 श्री अभिजीत सिंह भदौरिया,
पार्टनर-6 श्री अनीश खान,

(G-1291)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)

क्र. 03—एन.एस.ए.—2022

मुरैना, दिनांक 16 जून 2023

पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26-10-2021 के आधार पर जसरथ सिंह पुत्र हरगोविंद सिंह बघेल, निवासी—ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत इस न्यायालय के प्र. क्रमांक/03/ एन.एस.ए./2022 में पारित आदेश दिनांक 19-01-2022 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16-04-2023 द्वारा आरोपी जसरथ सिंह पुत्र हरगोविंद सिंह बघेल, निवासी—ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, (1980) की धारा 7(ख) के तहत आरोपी जसरथ सिंह पुत्र हरगोविंद सिंह बघेल, निवासी—ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 19-01-2022 के अनुक्रम में दिनांक 05-07-2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होंगे।

क्र. 04—एन.एस.ए.—2020

पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 03-10-2020 के आधार पर के.पी. उर्फ कृष्णपाल, सिंह कंषाना पुत्र मेहताब सिंह कंषाना, निवासी—ग्राम नायकपुरा, मुरैना, थाना सरायछोला, हाल सिंधी कॉलोनी, मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत इस न्यायालय के प्र. क्रमांक/04/एन.एस.ए./2020 में पारित आदेश दिनांक 06-10-2020 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16-04-2023 द्वारा आरोपी के.पी. उर्फ कृष्णपाल सिंह कंषाना पुत्र मेहताब सिंह कंषाना, निवासी—ग्राम नायकपुरा, मुरैना, थाना सरायछोला, हाल सिंधी कॉलोनी, मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, (1980) की धारा 7(ख) के तहत आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 06-10-2020 के अनुक्रम में दिनांक 05-07-2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होंगे।

क्र. 10—एन.एस.ए.—2021

पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26-10-2021 के आधार पर शिशुपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह तोमर, निवासी—ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत इस न्यायालय के प्र. क्रमांक/10/एन.एस.ए./2021 में पारित आदेश दिनांक 03-12-2021 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16-04-2023 द्वारा आरोपी शिशुपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह तोमर, निवासी—ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, (1980) की धारा 7(ख) के तहत आरोपी शिशुपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह तोमर, निवासी—ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 03-12-2021 के अनुक्रम में दिनांक 05-07-2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होंगे।

क्र. 11-एन.एस.ए.-2021

पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26-10-2021 के आधार पर देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी-ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत इस न्यायालय के प्र. क्रमांक/11/ एन.एस.ए./2021 में पारित आदेश दिनांक 03-12-2021 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16-04-2023 द्वारा आरोपी देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी-ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, (1980) की धारा 7(ख) के तहत आरोपी देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी-ग्राम काशीपुरा, जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 03-12-2021 के अनुक्रम में दिनांक 05-07-2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होंगे।

क्र. 12-एन.एस.ए.-2021

पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26-10-2021 के आधार पर धीर सिंह गुर्जर पुत्र वचन सिंह गुर्जर, निवासी-ग्राम चिरपुरा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत इस न्यायालय के प्र. क्रमांक/12/ एन.एस.ए./2021 में पारित आदेश दिनांक 03-12-2021 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16-04-2023 द्वारा आरोपी धीर सिंह गुर्जर पुत्र वचन सिंह गुर्जर, निवासी-ग्राम चिरपुरा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980) की धारा 7(ख) के तहत आरोपी धीर सिंह गुर्जर पुत्र वचन सिंह गुर्जर, निवासी-ग्राम चिरपुरा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 03-12-2021 के अनुक्रम में दिनांक 05-07-2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होंगे।

(G-1292)

अंकित अस्थाना, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. एसडीएम नगर-रीडर-1-2022-H.N. 317

उज्जैन, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

प्र.क्र.-0027-B-113-2022-23

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री सोनू बैरागी पिता श्री अशोक बैरागी अध्यक्ष, द्वारा प्राचीन श्री अंजनी पुत्र नीलगंगा, हनुमान मंदिर, कार्यालय-12, नीलगंगा कालोनी, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा "प्राचीन श्री अंजनी पुत्र नीलगंगा हनुमान मंदिर" उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय-12, नीलगंगा कालोनी, उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 10-01-2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकूल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08-12-2022 को उक्त अधिनियम, की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"प्राचीन श्री अंजनी पुत्र नीलगंगा हनुमान मंदिर"
कार्यालय	:	12, नीलगंगा कालोनी, उज्जैन (म.प्र.)
अचल संपत्ति	:	वर्तमान में न्यास के स्वामित्व का प्राचीन श्री अंजनी पुत्र हनुमान मंदिर नीलगंगा है।
चल संपत्ति	:	आवेदन में चल सम्पत्ति को निरंक दर्शाया गया है।

(G-1293)

कल्याणी पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश

क्र. 01-बी-113(1)-2023-24

क्र. 08-आर-1-2023

रतलाम, दिनांक 10 अप्रैल 2023

[फार्म-4 नियम 5 (1) देखिये]

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 (2) के तहत)

आवेदक श्री लोक वात्सल्य पारमार्थिक न्यास, 408, काटजू नगर, रतलाम द्वार अध्यक्ष श्री ओंकारलाल जैन पिता चुन्नीलाल जैन की ओर से म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 नियम 2 के अन्तर्गत "श्री लोक वात्सल्य पारमार्थिक न्यास रतलाम" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 10 मई 2023 को की जावेगी।

2. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 10 मई 2023 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	:	"श्री लोक वात्सल्य पारमार्थिक न्यास रतलाम"
	:	पता- राजेन्द्रयोग, 40 काटजू नगर, रतलाम (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	भारतीय जीवन बीमा निगम की पालीसी क्रमांक 346898931, 346882366, 361956612 राशि क्रमशः 10,00,000/-, 1,50,000/-, 1,00,000/- कुल राशि रुपये 12,50,000/-

क्र. 3-बी-113(1)-2023-24

क्र. 69-आर-1-23

रतलाम, दिनांक 15 जून 2023

[फार्म-4 नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 (2) के तहत]

आवेदक रोटरी क्लब, रतलाम प्राईम ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रितेश पिता महेन्द्र गादिया, निवासी-39/1, पैलेस रोड, रतलाम की ओर से म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 नियम 2 के अन्तर्गत "रोटरी क्लब रतलाम प्राईम ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक07-2023 को की जावेगी.

2. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक07-2023 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	:	"रोटरी क्लब रतलाम प्राईम ट्रस्ट"
		पता- 48, घांस बाजार, रतलाम (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	10,000/- नगद.

(G-1294)

संजीव केशव पाण्डेय, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, अलीराजपुर,
जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 1 जून 2023

प्रारूप पाँच

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास, अलीराजपुर,

जिला अलीराजपुर के समक्ष.

श्री मनीष पिता रमेशचन्द्र जी पिता रमेशचन्द्र जी जैन अध्यक्ष, श्री आदिनाथ माल्लीनाथ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट, अलीराजपुर एवं आदि-16, निवासीगण-अलीराजपुर, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 01-7-2023 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना का लोक न्यास है और इसका गठन करती है.

अतः मैं, लक्ष्मी गामड़, पंजीयक, लोक न्यास, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर का लोक न्यासों का पंजीयक, न्यायालय में दिनांक 01-7-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम : श्री आदिनाथ माल्लीनाथ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट, अलीराजपुर, तहसील एवं जिला अलीराजपुर.
2. सम्पत्ति का विवरण :
 - (अ) चल सम्पत्ति : 17,000,/- (अक्षरी रूपये सत्रह हजार रुपये मात्र)
 - (ब) अचल सम्पत्ति : निरंक.

(G-1295)

लक्ष्मी गामड़, पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल एम.पी. नगर वृत्त, जिला भोपाल
प्र.क्र.-002-बी-113-2023-24

[म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 का नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि "श्री गहोई परमार्थ ट्रस्ट" द्वारा अध्यक्ष श्री शिवनारायण सुहाने पंजीकृत पता-131/5, जोन-02, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर से म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 20-07-2023 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "श्री गहोई परमार्थ ट्रस्ट" द्वारा अध्यक्ष श्री शिवनारायण सुहाने पंजीकृत पता- 131/5, जोन-02, एम.पी. नगर, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 4,51,000 /- (कुल 41 सदस्यों से प्रति सदस्य 11,000/- मात्र)
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 19-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया.

(G-1296)

राजेश गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाटनी, तहसील सीहोर

क्र. परि.-Q1-23

सीहोर, दिनांक 14 जून, 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक परि.-2023-750, दिनांक 16-05-2023 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पाटनी	1788/दि. 21-08-2014	परि./2023/750, दि. 16-05-2023

अतः मैं, सुनील सक्सेना, पद वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

कार्यालय, परिसमापक एवं श्री मंगला क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., धनखेड़ी, तहसील सीहोर

क्र. परि.-Q-2023

सीहोर, दिनांक 14 जून, 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक परि.-2023-830, दिनांक 06-06-2023 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	श्री मंगला क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., धनखेड़ी.	1857/दि. 9-3-2017	क्र. परि./2023, दि. 06-06-2023

अतः मैं, सुनील सक्सेना, पद वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1297)

सुनील सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2023—आषाढ़ 16, शक 1945

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)